राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा–2018/ 3696 **जयपुर, दिनांक 20/09/2022**

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय (विद्युत बिल) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1218 दिनांक 31.03.2022 एवं 1530 दिनांक 26.04.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रो के द्वारा संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल/विद्युत/टेलीफोन बिल एवं किराया दर तथा रॉयल्टी से संबंधित बिलो का भुगतान बजट नियन्त्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा समेकित Pool बजट के माध्यम से आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

सामान्यतः यह देखने मे आया है कि जिला निर्वाचन कार्यालयो एवं अधीनस्थ कार्यालयों (निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) के द्वारा यात्रा भत्ता से संबंधित बिलो की राशि के भुगतान जो विगत के वर्षो मे पूरे वर्ष के अन्त तक होते थे, उस राशि के बिलो का भुगतान समेकित Pool बजट मे से माह अगस्त, 2022 तक (केवल 5 माह मे) ही कर लिया गया है तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत चालू माह के विद्युत बिलो के अतिरिक्त साल दर साल पुराने लंबित विधुत बिलो का भुगतान किया जा रहा है, जिनकी राशि काफी अधिक होती है।

अतः सन्दर्भित पत्रो के द्वारा जारी किये गये आदेशो/निर्देशो मे आंशिक संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि **" बजट मद 2015–00–102–01–01, 03– यात्रा भत्ता के अन्तर्गत बिलो का भुगतान एवं बजट मद 2015–00–102–01–01, 05– कार्यालय व्यय के अन्तर्गत चालू माह के विद्युत बिलो के अतिरिक्त साल दर साल पुराने लंबित विद्युत बिलों व यात्रा व्यय का भुगतान मुख्यालय की अनुमति के उपरान्त ही Pool बजट के माध्यम से किये जावे।"** किन्तु फिर भी उक्त लंबित बिलों का भुगतान Pool बजट के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति के बिना पारित किये जातें है तो आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO/AERO) को पाबन्द करें।

उक्त संशोधित आदेश/निर्देश दिनांक 19.09.2022 से लागू होंगे।

नोट :– चालू माह से संबंधित विद्युत बिल से आशय गत माह उपभोग किये गये विद्युत की राशि का बिल जिस माह में प्राप्त हुआ उससे है।

19/9/22

(कृष्ण कुणाल)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा/2018 3696 **जयपुर, दिनांक : 20/9/2022**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार ही बिल पारित किये जावें।
5. समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO/AERO), राजरथान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ही बिल संबंधित कोष कार्यालय को भिजवाये जावें।

वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर।